परिशिष्ट - 1

झारखंड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

संकल्प

संख्या–7/यो0 बजट–04/2014 1511 व०प०, राँची, दिनांक– 20/3/20.

विषय :– झारखंड राज्य में झारखण्ड उद्यान समिति (JHARPARKS) का "संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत गठन करने एवं इसके संचालन हेतु " झारखण्ड उद्यान नियमावली, 2015" की स्वीकृति के संबंध में।

झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण तथा पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के प्रति नागरिकों में जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से छोटे मनोरंजन उद्यान (Recreation Parks), जैव विविधता संरक्षण उद्यान, आदि का निर्माण वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विगत वर्षों में जैव विविधता पार्क (Bio-diversity Park), नक्षत्र वन, सिद्धू–कान्हू पार्क, कृष्णा पार्क डोरण्डा, दीन दयाल पार्क एवं हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क तथा जमशेदपुर में घोड़ाबांधा थीम पार्क का निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। राज्य में इसी प्रकार आवश्यकतानुसार उद्यानों को विकसित करने एवं ऐसे उद्यानों तथा अन्यथा स्थापित उद्यानों के प्रबंधन, विकास हेतु राज्य में पृथक एवं स्वतंत्र झारखण्ड उद्यान समिति गठित किया जाता है, जिसे "झारपार्क" के नाम से जाना जायेगा।

2. झारखंड राज्य में झारखण्ड उद्यान समिति (JHARPARKS) का "संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत गठन करने एवं इसके संचालन हेतु " झारखण्ड उद्यान नियमावली, 2015" की स्वीकृति दी जाती है।

3. झारखण्ड उद्यान समिति "झारपार्क" के अंतर्गत सृजित होनेवाले पदों एवं ऐसे पदों के विरुद्ध नियुक्ति के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त की जायेगी तथा निबन्धन के समय झारखण्ड उद्यान समिति के गठन पर निबंधन विभाग द्वारा परीक्षण किया जाएगा।

4. नगर विकास विभाग द्वारा निकायों/शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों का संचालन कार्य झारखण्ड उद्यान समिति को यथाशीघ्र सौंप दिया जायेगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–17.03.2005 में मद संख्या–10 के रुप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

20.3.15

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक –7/यो0 बजट–04/2014 1511 दिनांक– 20/3/2015

प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/सरकार के सभी अपर प्रधान मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त के आप्त सचिव तथा सभी संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।

20.3.15

सरकार के प्रधान सचिव

विशेष सचिव
वन एवं पर्यावरण विभाग
झारखण्ड, राँची